आदेश से संबंध

21.5.16

पत्रावली बोर्ड कोम्प पर
पेश। तहसीलदार भीलवाड़ा
की पेशी। तहसीलदार ने
अपनी रिपोर्ट मे बताया
की वादीगण ने अपनी आयकी

धूलखेड़ा कृषि भूमि ग्रा० २१६, २१७, २२० २२१ व २५१ जो देवस्थान के नाम दर्ज है, जिसमे शस्ता कायमी हेतु भा. ग्रा० २५२, २५३ मे ~~[illegible]~~ रेन्याई राजस्व मे शस्ता कायमी हेतु निवेदन किया है. परन्तु उक्त भाग जो ग्रा २५२ व २२२ जो जिन्दलाँव कि० के नाम व. अ.ग्रा २५३ रकबा ०.१५ बीघा खातेदार श्री सुलतान रूपाह पिता बाडर रूपाह पानोर मुसलमान सा.माण्डल के नाम है। प्रार्थीगण ने उक्त दोनो काश्तकारो को परवार नही बनाया गया है. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, खारीज कराये।

राजस्व रेन्याई व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण शस्ता चाहते है जिस के भाग जी नम्बर २५२ व २२२, २५३ के खातेदारो के प्रार्थीगण ने प्रस्ताव नही बनाया गया है. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आज दिनांक 21.5.2016 को मेरे द्वारा निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली जैसरत कुमार होकर नम्बर से कम हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा